भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 2395
मंगलवार, 10 दिसंबर, 2024/ 19 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि ऋण

+2395. डॉ. संजय जायसवाल:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए पश्चिम चंपारण जैसे वंचित क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कवरेज और कार्यान्वयन कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): जी हाँ मान्यवर। सरकार ने दिनांक 15.02.2023 को देश में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ बनाने तथा सबसे निचले स्तर तक इसकी पहुँच बनाने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है । इस योजना के अंतर्गत अल्पसेवित क्षेत्रों सहित देश में सभी पंचायतों/गांवों को आच्छादित करने हेतु डेयरी अवसंरचना विकास निधि (DIDF), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) आदि सहित भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण से तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) और राज्य सरकारों के सहयोग से नए बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना करना शामिल है ।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में 303 ग्राम पंचायतें और 315 पैक्स हैं।

योजना के प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सहकारिता मंत्रालय द्वारा नाबार्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) के समन्वय से दिनांक 19.9.2024 को एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (मार्गदर्शिका) परिचालित की गई, जिसमें सभी संबंधित हितधारकों के लिए लक्ष्य और समय सीमा संकेतिक किए गए है। मार्गदर्शिका के अनुसार, जमीनी स्तर पर योजना का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा जिला स्तर पर संयुक्त कार्य समिति (JWC) का गठन किया गया है। बिहार राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पश्चिम चंपारण सहित राज्य के सभी 38 जिलों में संयुक्त कार्य समिति (JWC) का गठन किया जा चुका है।

*****